संख्याः /xxvii(7)/2012

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 10 दिसम्बर, 2012

विषयः– उत्तराखण्ड के समस्त विभागों में ई–प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य के समस्त विभागों में (समस्त निगमों को सम्मिलित करते हुये) (क) ₹ पांच लाख अथवा ऊपर की धनराशि की समस्त सामग्रियां एवं सेवायें। (ख) ₹ एक करोड़ से ऊपर की धनराशि के समस्त निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति हेतु शासनादेश संख्याः 102/xxvii(7)/2012 दिनांकः 06 जुलाई, 2011 के द्वारा ई–प्रोक्योरमेंट व्यवस्था लागू की गई थी। इस कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्माण कार्यों की ई–प्रोक्योरमेंट व्यवस्था से अधिप्राप्ति हेतु रु0 एक करोड़ के स्थान पर ₹ 25 लाख (₹ पच्चीस लाख मात्र) की सीमा निर्धारित की गयी है। सामग्री एवं सेवाओं की ई–प्रोक्योरमेंट व्यवस्था से अधिप्राप्ति हेतु ₹ पांच लाख की सीमा यथावत् रहेगी।

ई–टेन्डरिंग हेतु अन्य शर्तें तथा प्रतिबन्ध उक्त शासनादेश दिनांकः 06 जुलाई, 2011 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार रहेगी।

विभाग के निर्माण कार्यों की निविदा करने के लिए सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी द्वारा मैनूअल टैन्डरिंग के स्थान पर ई–टैन्डरिंग के आधार पर टैन्डर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। ई–टैन्डरिंग में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा इसमें समय–समय पर किये गये संशोधनों द्वारा निर्धारित समस्त प्राविधानों एवं प्रक्रियाओं का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्याः183 /xxvii(7)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूं उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।